

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 72/2025

राजस्थान सरकार जरिये राहुल कुमार वेदवाल, प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री दयाशंकर पुत्र बद्रीप्रसाद बाकोलिया
पुष्कर अजमेर पुलिस थाना पुष्कर अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री दयाशंकर अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 19.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.09.2025 को आगामी पुष्कर मेला 2025 की व्यवस्थाओं के संबंध में मेला आरम्भ से मेला समाप्ति तक मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न होटलो/रेस्टोरेन्ट/चाय की स्टॉल आदि में अनाधिकृत तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग को रोकने हेतु धरपकड़ का अभियान के तहत जांच दल विभागीय निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरुपयोग एवं गैस रिफिलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल मैसर्स दयाशंकर, मेला ग्राउण्ड, पुष्कर पहुँचे। जांच दल में राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, मौके पर 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर दिव्या दिप्ती गैस एजेन्सी का कार्मिक श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, निवासी खोरी गांव पुष्कर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	215402	HPCL	15.7	29.5	13.8

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 13.8 किलोग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।


जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित। जवाब प्रस्तुत किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.09.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 13.8 किलोग्राम एलपीजी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 13.8 किग्रा एलपीजी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया अप्रार्थी उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है, उक्त प्रकरण का जुर्म स्वीकार कर प्रकरण को निस्तारण फरमावें

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 04.09.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 13.8 किग्रा एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.11.2025 को सरे

इजलास सुनाया गया।



(लोक बंधु)

जिला कलक्टर, अजमेर